उपहार सिनेमा दुर्घटना और दण्ड

कई वर्ष पहले उपहार सिनेमा हाल में एक आग लगने की दुर्घटना हुई थी जिसमें पचासों लोग जलकर मर गये थे। इस दुर्घटना में सिनेमा हाल के मालिको की गम्भीर लापरवाही पाई गई थी। लम्बे समय तक मुकदमा चलता रहा। अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जहॉ सर्वोच्च न्यायालय में उनकी जेल की सजा को भारी अर्थदण्ड में बदल दिया गया। वहीं से एक बहस चल पड़ी कि क्या यह न्यायोचित है? इसके पूर्व भोपाल गैस का एक दूसरा मामला ऐसा ही दुर्घटना का हो चुका है जिसमें लापरवाही के कारण कई सौ लोग मारे गये थे। इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने भारी मुआवजा देकर अंतिम निर्णय किया किन्तु फिर भी बहस समाप्त नही हुई और आज भी किसी न किसी रुप में यह बात उठती रहती है कि क्या इस तरह एण्डरसन को छोड़ देना उचित था? दूसरी ओर संजय दत्त को गैर कानूनी रुप से हथियार रखने के आरोप में छः वर्षो की सजा हुई। यह बात प्रमाणित है कि संजय दत्त ने अपराध प्रकाश में आने के बाद पुलिस को पिता के कहने पर पूरा सहयोग दिया तथा जेल में भी उसका आचरण बहुत अच्छा रहा। लेकिन संजय दत्त को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अर्थदण्ड न देकर जेल मे रहने के लिए मजबूर कर दिया। यहॉ तक कि बीच बीच में संजय दत्त को पैरोल मिल जाया करती है। लेकिन उस पेरोल पर भी देश भर में प्रश्न उठाये जाते रहे हैं।

इन तीन उदाहरणों की तरह ही अन्य भी अनेक घटनायें ऐसी ही हुई होंगी जहॉ दुर्घटना और जानबूझकर की गई घटना के बीच दूरी बनाने में भूल हो जाया करती है। उपहार काण्ड एक दुर्घटना थी जिसमें सिनेमा मालिको की लापरवाही तो प्रमाणित थी किन्तु नीयत पर कोई प्रश्न नहीं था। इसी तरह भोपाल गैस दुर्घटना में भी एण्डरसन अथवा किसी अन्य की नीयत पर कोई सवाल नही उठा। किन्तु संजय दत्त का मामला इन दोनों दुर्घटनाओं से बिल्कुल अलग है जिसमें संजय दत्त की नीयत खराब थी। उसने जो किया वह भूल न होकर एक सोच समझकर किया गया कार्य था। भले ही इसका कोई बुरा परिणाम न आया हो जैसा परिणाम उपहार सिनेमा या भोपाल गैस दुर्घटना में आया। इस तरह संजय दत्त के मामले में अन्य दो मामलों की तुलना नही हो सकती भले ही परिणाम अलग अलग क्यों न हों। संजय दत्त का मामला गम्भीर माना जायेगा और उपहार काण्ड या भोपाल गैस दुर्घटना कम गम्भीर या भूल। फिर भी हम देख रहे हैं कि भारी दण्ड लगने के बाद भी कुछ लोग पेशेवर तरीके से उपहार काण्ड या भोपाल गैस दुर्घटना को लगातार आज भी उछालते रहते हैं। मैं समझता हूॅ कि इस प्रकार घटनाओ को लम्बा खींचने में कुछ संगठनों का व्यावसायिक अथवा राजनैतिक हित जुड़ जाता है। ऐसे लोग किसी भी मामले को कभी भी खतम ही नहीं होने देते। क्योंकि उस मामले के खतम हो जाने के बाद उनके बेरोजगार हो जाने का खतरा बना रहता है। दुर्घटना को बहुत अधिक गम्भीर अपराध सिद्ध करना कभी कोई अच्छी बात नही होती। किन्तु कुछ लोग ऐसी दुर्घटनाओं को भावनाओं के साथ जोड़कर उन्हें जिंदा रखना चाहते है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला खिंचता चला गया। दस–दस ,बीस–बीस वर्ष बीत गये। पीढ़ियॉ बदल गई किन्तु पेशेवर लोग इन मामलों पर अंतिम रुप से राख नही पड़ने देते। दुर्घटना होती है तो लापरवाही होती ही है और लापरवाही का दण्ड कभी अपराधिक नहीं होता क्योंकि लापरवाही का परिणाम गम्भीर हो सकता है किन्तु उसकी तुलना अपराध से नहीं की जा सकती। मैं तो इस मत का हूॅ कि यदि न्यायालय को ऐसा विश्वास दिखता हो कि संजय दत्त भी पश्चाताप् में है तो उसकी आपराधिक सजा का भी स्वरुप बदला जा सकता था । यह भी संभव था कि उसे छः वर्षों तक प्रतिमाह एक दिन जेल में उपस्थित होने के बाद अपने छः वर्षो की सारी कमाई राज्य या समाज को देने का आदेश दे दिया जाता।

मेरा यह मत है कि हर मामले में कही न कही समाप्त होने देने की परिस्थिति बननी चाहिए। पुराने जमाने में हम ईश्वर इच्छा मानकर विषय को समाप्त कर देते थे। अब यदि ईश्वर इच्छा को महत्व न भी दे तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा राष्ट्रपति अथवा किसी अन्य व्यवस्था तक जाने के बाद विषय को समाप्त कर देना चाहिए। मैं जानता हूॅ कि पेशेवर संगठन तथा पेशेवर मीडिया मिलकर विषय को समाप्त नही होने देते किन्तु हम आप सामान्य नागरिको को ऐसे पेशेवरों के प्रयत्नों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

(2) खेती लाभ का व्यवसाय या हानि का

हम लम्बे समय से देख रहे है कि नुकसान से प्रभावित होकर किसान आत्म हत्या कर रहे है।

सरकार उन्हे बडे बडे पैकेज दे रही है। परन्तु उनकी आत्म हत्या कम नही हो रही । स्वतंत्रता के समय एक श्रमिक को दिनभर की मजदूरी एक से दो किलो तक अनाज मिलती थी। आज दस से पंद्रह किलो तक मिल रहा है। पिछले चार से छः महिने मे शक्कर अनाज सहित सभी उत्पादनों मे बीस से तीस प्रतिशत तक मूल्यो मे कमी आयी है। मै स्वयं तीस से चालीस वर्षो तक खेती किया और लुट पिट कर खेती करना बंद कर करके व्यवसाय की तरफ

मेरा परिवार चला गया। अनुभव बताता है कि खेती लाभदायक व्यवसाय नही है। दूसरी ओर स्वतंत्रता के बाद आज तक लगातार कृषि उत्पादन बढ रहा है आबादी यदि चार गुना बढी है तो कृषि उत्पादन दस से पंद्रह गुना बढ गया है। भारत पहले के जमाने मे खेती की वस्तुओ का आयात करता था। बडी मुस्किल से हमारे लोगो का पेट भर पाता था। आज भारत कृषि उत्पादन के निर्यात की स्थिति मे है। दाल और तेल हम पहले की अपेक्षा कम मात्रा मे मंगा रहे है। यदि कोई जमीन का मालिक स्वयं खेती न करे और किसी अन्य किसान को खेती करने के लिये वार्षिक किराये पर दे दे तब भी उसे पर्याप्त मात्रा मे किराया मिल जाता है। स्पष्ट है कि खेती मे लाभ है। इस वर्ष कृषि उत्पादनो के दाम तेजी से कम हुए है। उसके बाद भी खेती करने वालो मे किसी प्रकार की निराशा नही दिख रही है।

दोनो ही बाते सच है और एक दुसरे के विपरीत हैं। मैने इन दोनो बातो को समझने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक तरीके से खेती लाभदायक व्यवसाय है और परंपरागत तरीके की खेती नुकसान दे रही है। खेती करने वाला सामान्य किसान प्रतिवर्ष ठीक ठाक रहता है किन्तु यदि किसी वर्ष उसे जोर का झटका लगा तो संभल नही पाता । दूसरी ओर बडे किसान सब प्रकार के झटके बर्दास्त कर लेते है। इसलिये छोटी खेती भले ही अलाभ कर हो किन्तु बडी खेती अलाभकर नही है। फिर भी मेरा अनुभव है कि सरकारी नौकरी और व्यापार की खेती से तुलना की जाय तो अन्य दोनो की अपेक्षा खेती या तो नुकसानदायक होगी अथवा अपेक्षाकृत कम लाभदायक । मेरा मीडिया से निवेदन है कि वह मंहगाई का हल्ला करके उत्पादको के जले पर नमक छीटने का काम न करे बल्कि यथार्थ को यथार्थ के समान ही प्रकट करे।

बेरोजगारी

(1) करीब नौ मिनट प्रथम सत्र–परिभाषा

मेरा कथन–किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित न्यूनतम श्रम मूल्य पर योग्यतानुसार काम का अभाव

(2) द्वितीय सत्र–वर्तमान स्थिति

हाफ टाइम तक– मेरा कथन–पांच व्यक्ति के परिवार के एक व्यक्ति की आय दो सौ रूपया मान ले तो कुल मिलाकर भारत मे पांच करोड लोग बेरोजगर माने जायेंगे।

(3) तृतीय सत्र–समाधान

13 मिनट–मेरा कथन–पांच के परिवार का एक व्यक्ति दो सौ रूपया या उस क्षेत्र के औसत तेरह किलो गेंहू के समकक्ष मूल्य पर योग्यतानुसार काम देने की गारंटी।

(4) श्रोताओं द्वारा प्रश्नोत्तर

(1) प्रथम सत्र 9 मिनट

पर्दा प्रथा

प्रारंभ कब से – मेरा कथन–प्राचीन समय मे योनि शुचिता का बहुत महत्व था। साथ ही परिवार के काम समर्थ उम्र मे बडे से सुरक्षा आवश्यक समझ कर पर्दा प्रथा का जन्म हुआ। पति से कम उम्र के देवर या काम अक्षम वृद्ध से पर्दा नही था।पर्दा प्रथा हिन्दुओ मे भी थी तथा मुसलमानों मे भी। मुसलमान काल मे भारत मे आई यह कथन गलत।

द्वितीय सत्र

(2) वर्तमान स्थिति– योनि शुचिता की आवश्यकता से आंशिक समझौता हुआ। आवागमन का विस्तार हुआ। महिलाओं की आबादी घटी । परिवार की महिला सदस्य भी कार्य व्यापार मे शामिल होने लगी। शिक्षा का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप पर्दा प्रथा घटती जा रही है तथा घटनी चाहिये।

(3) तृतीय सत्र समाधान–पर्दा प्रथा स्वाभाविक रूप से घट रही है। महिलाओं की आबादी भी पुरूषो की तुलना मे घट रही हैं। महिलाओं की घटती संख्या इस समस्या का स्वाभाविक समाधान है। भारत का पुरूष वर्ग महिलाओ की घटती संख्या से बहुत अधिक चिन्तित है। हमे ऐसे चिन्तित पुरूषो को समझाना चाहिये कि जब तक समाज मे पुरूष और महिला के बीच असमानता समाप्त न हो जावे तब तक महिला पुरूष अनुपात से कोई छेड़ छाड़ न हो।

(4) चतुर्थ सत्र–प्रश्नोत्तर श्रोताओ से

राजनीति में परिवार वाद

प्रथम सत्र –परिभाषा 9 मिनट

मेरा कथन–सामान्यतया परिवार के बडे सदस्य जो व्यवसाय करते है, परिवार के बच्चे प्राकृतिक रूप से उस काम मे दक्ष हो जाते हैं। किन्तु सैद्धान्तिक रूप से राजनैतिक पद सिर्फ सामाजिक अमानत है समाज सेवा है, अतः राजनीति मे परिवार के अन्य सदस्यो का समायोजन कठिन होता है।

द्वितीय सत्र–वर्तमान स्थिति हाफ टाइम तक

मेरा कथन– राजनीति समाज सेवा से हटकर व्यवसाय बन गई है। स्वतंत्रता के बाद सामान्यतया इसे सामाजिक अमानत नही समझा गया। आज तो शायद ही कोई ऐसा मानता है । इसलिये भारतीय राजनीति मे पूरी तरह परिवार वाद छा गया।

तृतीय सत्र 9 मीनट–

मेरा कथन– राजनैतिक सत्ता के अधिकतम अधिकार परिवार, गांव, जिले को देकर प्रदेश तथा केन्द्र सरकारो के पास कुछ गिने चुने अधिकार छोडे। राजनीति एक घाटे का व्यवसाय बना दिया जाय।

चतुर्थ सत्र–श्रोताओ से प्रश्नोत्तर अंत तक–

विधायकों सांसदो का वेतन भत्ता

(1) प्रथम सत्र– आदर्श स्थिति 9 मिनट–

मेरा कथन– आदर्श स्थिति मे सांसद चुने जाने के बाद पूरी संसद के सदस्य होते है , न कि निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप मे । सांसद नीति निर्माण तक सीमित होते है। उनकी कार्यपालिका मे कोई भूमिका नही होती। अतः उन्हे भत्ता लेना चाहिये वेतन नही।

द्वितीय सत्र

(2) वर्तमान स्थिति आधा होते तक

मेरा कथन– भारत मे 1950 के बाद अस्सी गुंना मूल्य ह्रास हुआ है। अतः सन पचास की तुलना मे सांसदो विधायको का वेतन भत्ता अस्सी गुना तक तो उचित था। किन्तु उन्होने अपना वेतन भत्ता बेतहाशा बढाकर डेढ सौ गुना कर लिया तथा अब तो योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व मे बनी कमेटी और अधिक बढाना चाहती है।

तीसरा सत्र समाधान 9 मिनट

मेरा कथन– (1) चुनाव लडते समय ही उम्मीदवार लिख कर दे कि वह चुनाव के जीतने बे बाद कितना वेतन भत्ता लेगा।

(2) सांसदो का वेतन भत्ता तय करने मे लोक संसद की भूमिका अनिवार्य कर दी जाय।

(4) चौथ सत्र

प्रश्नोत्तर श्रोताओं से

अंत तक

व्यवस्थापक, एक संगठन और आवश्यकता

मेरा जन्म सन् 1939 में भारत वर्ष के छ0ग0 प्रदेश के रामानुजगंज शहर में एक अग्रवाल परिवार में हुआ। बचपन से ही मेरे मन में यह धारणा बन गई थी कि श्रृष्टि के प्रारंभ में ही समाज में दो प्रकार की प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष चलता रहता है। एक को दैवी प्रवृत्ति तथा दूसरे को आसुरी प्रवृत्ति के नाम से पुकारा जाता है। यह संघर्ष बहुत प्राचीन समय से चलता रहा है, आज भी चल रहा है तथा भविष्य में भी चलता रहेगा। न कभी दैवी प्रवृत्तियॉ समाप्त हो सकती है न ही कभी आसुरी प्रवृत्तियॉ। भले ही दोनों में समय समय पर एक दूसरे को कमजोर करने के सफल या असफल प्रयास चलते रहते हैं। मैंने भी अपने प्रारंभिक जीवन से अब तक इस संघर्ष में दैवी प्रवृत्तियों का साथ दिया। मेरे मन में किसी भी प्रकार की गुलामी के प्रति स्पष्ट घृणा थी जो विरोध में भी बदल जाया करती थी।

प्रारंभिक काल में चार सक्रियताओं के समन्वय से व्यवस्था चलती थी–(1)विचार प्रधान अर्थात् ब्राह्मण प्रवृत्ति। (2)शक्ति प्रधान अर्थात् क्षत्रिय प्रवृत्ति।(3)धन प्रधान अर्थात् वैश्य प्रवृत्ति।(4)श्रम प्रधान अर्थात् शूद्र प्रवृत्ति। भारत में ब्राह्मण प्रवृत्ति हावी थी तथा इसी के सहारे सारी दुनिया पर भारत आगे रहता था। मुस्लिम देशों में क्षत्रिय प्रवृत्ति हावी थी, पश्चिम के देशों में वैश्य प्रवृत्ति हावी थी तथा साम्यवादी देशों में शूद्र प्रवृत्ति। इन चारों का सन्तुलन कही भी ठीक ढंग से नही हो पाया। चारों में ही धूर्त प्रवृत्ति के लोगों ने छलबल से प्रवेश किया और उन पर हावी होते चले गये।भारत में कर्म के आधार पर वर्ण,जाति की व्यवस्था को चुपचाप बदलकर जन्म के आधार पर अपनी आगामी पीढ़ियों के लिए आरक्षित कर लिया गया। परिणाम हुआ कि भारत मे चारों संगठनों का समन्वय टूटा।

भारत जो विचारों के आधार पर सारी दुनिया का नेतृत्व करता था वही भारत विचारों के आधार पर शुन्य हो गया। परिणाम हुआ कि भारत पर पहले क्षत्रिय प्रवृत्ति का आधिपत्य हुआ जो बाद में वैश्य प्रवृत्ति के आधिपत्य में बदल गया तथा स्वतंत्रता के बाद समाजवाद साम्यवाद की शूद्र प्रवृत्ति ने भारत को जकड़ लिया। भारत सामाजिक दृष्टि से पश्चिम अथवा साम्यवादी विचारों का पिछलग्गू बन गया। गुलामी के बाद भारत का इतना पतन हुआ कि भारत अपने कार्यकाल में कपिल,कणाद,गौतम सरीखे विद्वान तो पैदा कर ही नहीं सका बल्कि बाद में तो स्थिति यह आई कि भारत स्वामी दयानन्द या विवेकानंद के समकक्ष भी किसी को तैयार नही कर सका। अब तो स्थिति यह आई कि भारत गॉधी,जयप्रकाश विनोबा को पार करते करते अन्ना हजारे तक आ गया और भविष्य मे ऐसा दिखता है कि अन्ना के बाद हम ऐसे साधारण महापुरुष के लिए भी तरसते रह जायेंगे।

ऐसी ही विकट संकटकालीन परिस्थिति मे मेरा जन्म हुआ। मेरे समक्ष अनेक चुनौतियां मुह बाये खडी थी । दुनियां मे भारत वैचारिक आधार पर भी पिछडा हुआ था और सामाजिक आर्थिक राजनैतिक आधार पर भी। मैने सारी स्थितियों को चुनौती के रूप मे स्वीकार किया। मैने बचपन के प्रारंभ मे ही सामाजिक गुलामी से मुक्ति के प्रयास किये और इसी क्रम मे पंद्रह वर्ष की उम्र मे ही आर्य समाज ने मुझे वैश्य से ब्राम्हण बना दिया। सत्रह वर्ष की उम्र मे ही मै डा0 लोहिया के प्रभाव मे आकर अपने क्षेत्र का स्थानीय पार्टी अध्यक्ष घोषित हो गया। पचीस वर्ष की उम्र मे ही नगर पालिका रामानुजगंज का अध्यक्ष चुन लिया गया। छत्तीस वर्ष की उम्र मे ही मै जय प्रकाश आंदोलन मे शामिल होकर उन्नीस महिने के लिये जेल चला गया। जेल से छूटते ही मै जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बन गया जो भा ज पा बनने के बाद चौरासी तक रहा। तथा चौरासी मे मैने राजनीति से निराश होकर गांधी की लाइन मे चलना शुरू किया जो मेरी लाइन आज तक जारी है। मै स्पष्ट कर दूँ कि मै गांधी की नकल करने मे विश्वास नही करता बल्कि मेरा तो यह मानना है कि गांधी मृत्यु के पूर्व जहा तक जा सके थे उसके आगे जहां जिस दिशा मे उनके आगे बढने का औचित्य था उस दिशा मे गांधी के कार्यो के आगे बढने का प्रयास किया जाये। आज तक मै उस कार्य मे लगा हूँ।

यदि हम वर्तमान विश्व घटनाक्रम की समीक्षा करें तो साम्यवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है तथा साम्प्रदायिकता भी लगातार निशाने पर है। पश्चिम का लोकतंत्र लगातार फलफूल रहा है जिसका सीधा संबंध पूँजीवाद से है। इस्लामिक देशों का धार्मिक कट्टरवाद तथा साम्यवाद का असामाजिक चिंतन दुनिया में पिछड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में आठ विकृतियों का सहारा लेकर लोकतंत्र शेष समाज को गुलाम बनाने के लिए प्रयत्नशील है–

(1)विचार मंथन की जगह विचार प्रचार को अधिक प्रभावोत्पादक बना दिया जाये।

(2)संचालक और संचालित के बीच दूरी लगातार बढायी जाये।

(3)राजनीति और समाजसेवा का व्यवसायीकरण कर दिया जाये।

(4)भौतिक पहचान का संकट पैदा कर दिया जाये और योग्यता की जगह पूजा, पोशाक, बाल–दाढी आदि की पहचान को ही योग्यता का मापदण्ड बना दिया जाये।

(5)समाज को तोड़कर वर्ग में बदलने का प्रयास हो तथा वर्ग निर्माण वर्ग–संघर्ष, वर्ग विद्वेष को प्रोत्साहित किया जाये।

(6) राज्य व्यवस्था निष्प्रभावी हो जाये।

(7)मानव स्वभाव ताप वृद्धि का निरंतर विस्तार होता रहे।

(8) मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि भी लगातार बढ़ती रहें ।

हम यदि पूरे विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आकलन करें तो हम देखेंगे कि पूरा विश्व लोकतंत्र के विस्तार के लिए इन आठों आधारों का सहारा ले रहा है। यह पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है किन्तु इसके समाधान के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता है उसका अभाव दिख रहा है। चिन्ता व्यक्ति को सकियता की दिशा मे तो ले जा सकती है किन्तु चिन्तन के अभाव मे चिन्ता समाधान की दिशा मे नही बढ सकती। विश्व मे चिन्तन का अभाव ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है कि उसकी जगह आधा अधूरा अथवा नकली चिन्तन ही चिन्तन के रूप मे स्थापित होता जा रहा है तथा वही चिन्तन सकियता का मार्गदर्शन कर रहा है। परिणाम स्पष्ट है कि विश्व सामाजिक राजनैतिक आर्थिक गुलामी से मुक्ति की दिशा मे नही बढ पा रहा है। इसलिए विश्वव्यापी प्रयत्न करने होंगे। किन्तु हम आप जैसे लोग अभी विश्वव्यापी प्रयत्नों की शुरुवात भारत से करने का प्रयास करें तो अधिक अच्छा होगा।

भारत में तीन प्रकार की समस्याएँ विकराल होती जा रही हैं–(1)आर्थिक असमानता (2)सामाजिक असमानता (3)राजनैतिक असमानता। भारत में तीनों प्रकार की असमानता व्याप्त है। इनमें भी सामाजिक गुलामी का खतरा

कमजोर हो रहा है तथा आर्थिक या राजनैतिक गुलामी का खतरा बढ़ रहा है। विश्वव्यापी लोकतांत्रिक व्यवस्था तो आर्थिक गुलामी की दिशा में तीव्रगति से बढ़ रही है, किन्तु भारत में समाजवाद ,साम्यवाद तथा इस्लामिक कट्टरवाद के प्रभाव के कारण राजनैतिक गुलामी सर्वोच्च शिखर पर है । भारत में राजनैतिक गुलामी को लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित करने के लिए दस प्रकार के नाटक किये जाते हैं–

(1)समाज में आठ आधारों पर वर्ग विभाजन करके उन्हें वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष तक ले जाना। आठ आधार है धर्म ,जाति, भाषा, क्षेत्रियता,लिंग, उम्र, गरीब,अमीर, उत्पादक, उपभोक्ता।

(2)समस्याओं का ऐसा समाधान खोजना कि वह समाधान किसी नई समस्या को पैदा करे या विस्तार दे।

(3)आर्थिक समस्याओं का प्रशासनिक सामाजिक,सामाजिक समस्याओं का आर्थिक प्रशासनिक तथा प्रशासनिक समस्याओं का आर्थिक समाजिक समाधान खोजने का प्रयत्न करना।

(4)राष्ट्र शब्द को उपर उठाना तथा समाज शब्द को महत्वहीन बनाना।

(5)वैचारिक बहस का आधार बनाना।

(6)समाज को शासक और शासित के बीच बॉटकर दोनों के मनोबल में फर्क बढ़ाते जाना।

(7)समाज द्वारा स्वयं को अपराधी समझने की भावना का विकास।

(8)शासन की भूमिका बिल्लयों के बीच बंदर के समान असमानता विस्तार की होना।

(9)आर्थिक असमानता वृद्धि के लिए प्रयत्न करना कि जो वस्तुऍ गरीब लोग ज्यादा उपयोग करें उन पर अप्रत्यक्ष कर तथा प्रत्यक्ष सबसीडी दी जाये,दूसरी ओर जो वस्तु अमीर लोग ज्यादा उपयोग करें उस प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष सबसीडी देना।

(10) प्राथमिकताओं के क्रम में सुरक्षा और न्याय को निचली प्राथमिकता मानकर जन कल्याणकारी कार्यो को उच्च प्राथमिक बनाना।

भारत में ग्यारह बढ़ती समस्याऍ–(1)चोरी, डकैती, लूट (2)बलात्कार (3)मिलावट कमतौलना (4)जालसाजी,धोखाधडी (5)हिंसा,बलप्रयोग,आतंकवाद (6)भ्रष्टाचार (7)चरित्रपतन (8)साम्प्रदायिकता (9)जातीय कटुता (10)आर्थिक असमानता (11)श्रम शोषण।

इन ग्यारह समस्याओं के स्थान पर महॅगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, वैश्यावृत्ति, आदिवासी, हरिजन, उत्पीडन, महिला सशक्तिकरण कालाधन जैसे अनावश्यक अथवा अल्पआवश्यक विषयों में अधिक ध्यान लगाना। यदि हम भारत की सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था का ठीक से आकलन करें तो भारत के सभी राजनैतिक दल अथवा भारत की विधायिका,न्यायपालिका,तथा कार्यपालिका पूरी ईमानदारी से इस कार्य में सक्रिय है। दसों प्रकार के नाटक करने में न कोई राजनैतिक दल पीछे है न ही कोई संवैधानिक व्यवस्था बल्कि भारत की स्थिति तो यहॉ तक आ गयी है कि विधायिका और न्यायपालिका आपस में ही श्रेष्ठता सिद्ध करने के टकराव में निरंतर सक्रिय है। स्पष्ट है कि भारत में राजनैतिक गुलामी सबसे ज्यादा खतरनाक दिशा में बढ़ रही है किन्तु राजनैतिक गुलामी स्थापित करने में सभी सक्रिय धूर्त आर्थिक सामाजिक असमानता का भावनात्मक भूत खडा करके समाज को राजनैतिक गुलामी की ओर ढकेलते रहते है। इन सबका उद्देश्य कभी आर्थिक सामाजिक समानता की दिशा में समाज को ले जाना नहीं होता क्योंकि यदि समस्या ही सुलझ गई तो इनका अस्तित्व ही नही रहेगा। इसलिए ये अप्रत्यक्ष रुप से समाजिक आर्थिक असमानता को हवा देकर प्रत्यक्ष रुप से राजनैतिक असमानता को बढ़ाते रहते है।

भारतीय राजनीति मे दो विचार धाराऍ स्वतंत्रता के पूर्व से ही थीं। 1 संसदीय लोकतंत्र 2 सहभागी लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ था लोक नियुक्त तंत्र अर्थात तंत्र लोक के द्वारा नियुक्त तो किया जायगा किन्तु तंत्र पर नियुक्ति के बाद निश्चित अवधि तक लोक का कोई नियंत्रण नही होगा। सहभागी लोकतंत्र गांधी के साथियों की विचार धारा थी। जिसका अर्थ था लोक सर्वोच्च होगा। लोक तंत्र को नियुक्त भी करेगा, तथा नियंत्रित भी।

भारत के सभी वामपंथी तथा दक्षिण पंथी अर्थात संघ परिवार तथा साम्यवादी संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर थे। गांधी ही एक मात्र बाधक थे, किन्तु गांधी स्वयं इतना प्रभाव रखते थे कि बाकी सब मिलकर भी गांधी के समक्ष बौने हो जाते थे। गांधी के मरते ही अन्य लोगो को सुविधा हो गई कि वे लोकतंत्र की आदर्श परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र को बदलकर लोक नियुक्त तंत्र कर दें। हमारे राज नेताओं ने लगभग सर्व सम्मति से षणयंत्र पूर्वक चुपचाप यह परिवर्तन कर दिया। एक संविधान की किताब लिख ली गई, और प्राचारित कर दिया गया कि संविधान समाज के द्वारा बनाया गया है तथा समाज निर्मित संविधान के अंतर्गत और नियंत्रण मे ही संसद काम कर सकेगी। किन्तु

इन्हीं लोगों ने गुप्त रूप से संविधान मे यह भी लिख दिया कि संविधान मे किसी भी प्रकार के संशोधन के असीम अधिकार उसी संसद को होंगे जो संविधान के अंतर्गत कार्य करने के लिये बाध्य है। इस तरह भारत का संविधान एक तरफ तो संसद या राजनेताओं का सुरक्षा कवच बन गया तो दूसरी तरफ संविधान राजनेताओं तथा ससंद की जेल मे कैद भी हो गया। भारत मे स्वतंत्रता के बाद जो राजनैतिक गुलामी बढती चली गई उसका एक मात्र कारण संविधान का संसद की जेल मे कैद होना ही है।

आदर्श व्यवस्था के लिये संपूर्ण राजनैतिक सामाजिक स्थिति में बदलाव करना होगा अर्थात् राज्य और समाज के आपसी संबंधो को फिर से परिभाषित करना होगा। इसके लिये दो दिशाओं में एक साथ काम करना होगा। 1 समाज सशक्तिकरण 2 राज्य कमजोरीकरण। समाज सशक्तिकरण के लिये एक अलग से अभियान चलाना होगा और उसके साथ साथ राज्य कमजोरी करण के लिये भी अभियान चलता रहेगा, यद्यपि दोनों अभियान एक दूसरे के पूरक ही होंगे । समाज सशक्तिकरण के लिये परिवार, गांव, जिला को संवैधनिक अधिकार देने की शुरूआत करनी होगी तो राज्य कमजोरी करण के लिये संविधान रूपी भगवान को संसद की जेल से मुक्त भी कराना होगा।

वैसे तो समाज सशक्तिकरण तथा राज्य कमजोरी करण एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों ही दिशाओं में व्यापक तथा दीर्घकालिक प्रयत्न, सुधार तथा आन्दोलन की जरूरत होगी किन्तु हमें ऐसी जगह से शुरूआत करनी होगी जो न्यूनतम जटिल हो और व्यापक प्रभावकारी हो। इस आधार पर किसी आंदोलन के लिये चार मुद्दे प्रारंभ मे चिन्हित किये गये। 1 परिवार, गांव, जिले को संवैधानिक अधिकार, 2 लोक संसद 3 राइट टू रिकाल 4 जीवन भत्ता। यद्यपि ये चारों विषय एक साथ हैं किन्तु पहले और दूसरे विषय व्यापक प्रभाव डालने वाले हैं, व्यवस्था में परिर्वतन की राह खोलते है तो तीसरे और चौथे विषय व्यवस्था परिवर्तन में आंशिक और व्यवस्था में सुधार के लिये व्यापक प्रभावकारी हैं। फिर भी चारो विषयों को एक साथ किन्तु इसी क्रम में महत्व देते हुए शामिल किया गया हैं। इसके लिये एक व्यवस्थापक का घोषणा पत्र तैयार किया गया है जो नीचे लिखे अनुसार है।

स्वराज्य की स्थापना की ओर (व्यवस्थापक का घोषणा पत्र):–

1– सदैव से ही, जब से व्यक्ति ने व्यवस्था शब्द का प्रभाव स्वीकार किया है और समाज में व्यवस्था की स्थापना के लिए राजनीति को माध्यम बनाया है, तभी से समाज तथा राजनीति के बीच समाज के अधिकारो की सीमा तय करने का द्वंद चलता रहा है। राजनीति स्वयं को समाज में व्यवस्था की स्थापना का माध्यम न मानकर उसकी स्थापना का कारण मानती रही है। मेरे विचार से समाज में अधिकारो के सीमांकन का यह स्वरूप ठीक नही है । लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि समाज में व्यवस्था की स्थापना हेतु राजनीति का स्वरूप स्वतंत्र नही होगा तो व्यवस्था की स्थापना किस प्रकार से हो सकेगी। मूलतः यह राजनीतिक व्यवस्था के दर्शन की विवेचना का विषय है, यह व्यवस्था के यथार्थ प्रज्ञ स्वरूप को आकृति देने वाले उसके माध्यम की वास्तविकता का समाज से परिचय कराने का विषय भी है।

वास्तव में समाज को राजनीति के रूढ स्वभाव का परित्याग कर राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में दर्शन के प्रभाव को स्वीकार करना होगा। क्योंकि समाज में राजनीति के माध्यम से हम जो व्यवस्था करते आये है उसमें व्यवस्था का स्वभाव सत्ता केन्द्रित रहा है। जब कि व्यवस्था के विषय में समाज के परिप्रेक्ष्य को समझते हुए इसका स्वभाव समाज केन्द्रित होना चाहिए।शक्ति के केन्द्रीयकरण को अपनी उत्पत्ति का कारण व आदर्श के रूप में स्वीकार करने वाली राजनीति ने अपने स्वभाव को कभी भी समाज केन्द्रित प्रदर्शित न कभी किया है न ही उस दिशा मे होने दिया है। इसका सत्ता केन्द्रित स्वभाव ही युगो से जीवन की मूल स्वतंत्रता को रौंद रहा है और यह निश्चित है कि आने वाले समय में भी इसका यह स्वभाव समाज में संतुलित व्यवस्था की स्थापना मे बाधक बनता ही रहेगा।

मेरे विचार से व्यवस्था शब्द का अभिव्यक्त सार यह है कि समाज अपने परिवेश में इसे इसलिए स्थापित करता है कि उसके जीवन चक्र में सुगमता बनी रहे, वह प्रबंधित रहे, नियंत्रित नहीं। राजनीति को अपने प्रबंध के अधिकार सौपने के पीछे समाज की केवल यही मंशा रही है।क्या राज्य की स्थापना की कल्पना मूल रूप से समाज की इसी सोच के विस्तार का परिणाम नहीं है? मूलतः राज्य का शक्ति संग्रहण का सिद्धांत इसी विचार से उत्पन्न होता है। लेकिन समाज से अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद राजनीतिक व्यवस्था के सत्ता केन्द्रित स्वरूप ने समाज की इस आकांक्षा का सदैव ही दलन किया है। वस्तुतः राजनीति अपने इस उच्श्रृंखल स्वभाव को कभी नहीं नकार पायी कि समाज की गुलामी में ही उसका अस्तित्व सुरक्षित है। यदि राज्य की व्यवस्था में लेश मात्र भी यह विचार प्रभावी होता है तो उसके माध्यम से होने वाली व्यवस्था को किसी भी दृष्टिकोण से लोकतंत्रीय नही कहा जा सकता । राजनीति अपनी इसी महत्वाकांक्षा की खातिर समाज पर व्यवस्था के नाम से नियंत्रण करने के

लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास करती रही है। आधुनिक समाज में राजनीति द्वारा स्थापित लोकतंत्र का लोक नियुक्त स्वरूप भी समाज को इसी षडयंत्र के तहत अपने नियंत्रण मे रखने का प्रयास है जबकि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ लोक नियुक्त तंत्र नहीं बल्कि लोक नियंत्रित तंत्र होता है। हमे जीवन की मूल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समाज की व्यवस्था को राजनीति के इस षडयंत्र से मुक्त करना होगा।

व्यवस्थापक समाज में व्यवस्था के दर्शन की वह विवेचना प्रस्तुत करता है जिसके प्रभावी होने पर राजनीतिक व्यवस्था के स्वभाव से शासन भाव समाप्त होकर प्रबंधन का भाव प्रभावी हो जायेगा।

2—व्यवस्थापक क्या है— मूलतः भारत की मनीषा राजनीतिक व्यवस्था के ऐसे संस्थात्मक ढॉचे की संकल्पना प्रस्तुत करता है जिसमें लेश मात्र भी व्यक्तिवाद अथवा संगठनवाद का प्रभाव नहीं है । मौजूदा भारतीय लोकतंत्र का यह बुनियादी दोष है कि स्थापित व्यवस्था के ढॉचे के अनुसार भारतीय लोकतंत्र को चलाने वाली इकाईयों का विकास संस्थात्मक नहीं बल्कि संगठनात्मक हुआ है। इन इकाईयो में नाम मात्र की सैद्धांतिक स्वीकार्यताओं के अतिरिक्त इनकी व्यावहारिक कार्यनीति में तो सर्वथा लोकतंत्र का अभाव ही पाया जाता है ।यह अभाव भारतीय संविधान के अधीन कार्य करने वाली तमाम व्यवस्थागत इकाईयो के व्यवहार में अति उच्च स्तर तक दिखता है, चाहे वे भारत की राजनीतिक पार्टियॉ हो, जो कि एक स्तर पर पहुॅचकर विधायिका का निर्माण करती है, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। स्थापित व्यवस्था का तमाम ढॉचा शक्ति के केंद्रीयकरण का उद्यम करने के अतिरिक्त कुछ नही करता । सभी इकाइयां घोर व्यक्तिवाद से ग्रस्त हैं और समाज पर अपने प्रभाव की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध रही है और हैं । ऐसी घोर अंधकारमय और जड परिस्थितियो में हम समाज के सामने व्यवस्थापक की संरचना का वैचारिक आधार प्रस्तुत करते है। व्यवस्थापक की अवधारणा की उत्पत्ति अब से कुछ वर्ष पूर्व रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज छ0ग0 में सामाजिक अनुसंधान केंद्र द्वारा आहूत एक अनुसंधान कार्यक्रम के तहत हुई। इसकी संकल्पना प्रस्तुत करते हुए ज्ञान क्रान्ति परिवार के संरक्षक एवं समाज में स्वराज्य परक व्यवस्था की स्थापना के प्रबल पैरोकार श्री बजरंग मुनि ने कहा कि व्यवस्थापक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आंदोलन की रूप रेखा तैयार करना है जो स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही षडयंत्र पूर्वक जिन व्यवस्थापको ने स्वयं को शासक, राज्य या गवर्नमेंट मानना और कहना शुरू कर दिया, उन सबको यह एहसास कराना है कि शासक, राज्य या गवर्नमेंट तो समाज है। क्योंकि इसी में सम्प्रभुता का मैलिक रूप निहित है। यह स्थापित संवैधानिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका ,विधायिका एवं कार्यपालिका शामिल है, हमारी प्रबंधक या प्रतिनिधि है, राज्य या शासक या गवर्नमेंट नही। न्यायपालिका और कार्यपालिका तो ऐसा आंशिक रूप से ही समझते है पर विधायिका तथा उससे जुडे लोग तो अपने को छाती फुलाकर सरकार कहते है। व्यवस्थापक देश में ऐसा आंदोलन खडा करेगा कि लोकतंत्रीय समाज में सत्ताग्राही राजनीति करने वाले लोग अथवा शासक स्वयं को सरकार की जगह प्रबंधक कहना भी शुरू कर दे तथा मानने भी लग जाये।

3—नाम—व्यवस्थापक की अवधारणा का अनावरण करते हुए श्री बजरंग मुनि ने कहा कि व्यवस्थापक का वास्तविक नाम व्यवस्था परिर्वतन अभियान कमेटी होगा तथा संक्षिप्त प्रचलित नाम व्यवस्थापक होगा।

4—संरचना का आधार—व्यवस्थापक एक सामाजिक संस्था होगी जिसका संरचनात्मक ढॉचा समाज की सामाजिक संरचना के आधार पर होगा।व्यवस्थापक के संरचनात्मक प्रबंध को प्रस्तुत करते हुए इसकी सैद्धांतिक अवधारणा की सूक्ष्म विवेचना करनी उचित होगी।एक सामाजिक अनुसंधान से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि समाज में मौलिक व्यवस्था की स्थापना समाज के विभिन्न स्तरीय निकायो के दो स्वरूपो की क्रमिक अवस्थापना के अनुसार होती है। जिनमें प्रथम और तार्किक क्रम है—व्यक्ति— परिवार—गॉव अथवा वार्ड (शहर) —जिला—प्रदेश—देश—समाज अथवा विश्व।प्रत्येक इकाई अपने स्तर की स्वतंत्रता को अक्षुण रखते हुए उपर वाली इकाई की व्यवस्थानुसार सहायक या पूरक होती है तथा नीचे वाली इकाई की संरक्षक। यह संभव है कि वैश्विक समाज व्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय इकाईयों में इन व्यवस्थागत इकाईयों के नाम व आकृति जरा बहुत बदल जाते हों लेकिन अंततः यह क्रम समाज की मूलभूत इकाई से लेकर वैश्विक आधार तक प्रत्येक इकाई द्वारा उसकी निजता की सीमाओं को संरक्षित रखते हुए अपना सामाजिक विस्तार कर उत्तरोत्तर इकाई में परस्पर समावेश का स्वनिर्मित प्रारूप है। व्यवस्था की स्थापना का यह क्रम समाज के विभिन्न स्तरो पर आवश्यकता के अनुसार शक्ति विभाजन का मार्ग प्रशस्त करता है। क्योकि इस क्रम की प्रत्येक व्यवस्थागत इकाई में उसके स्तर के अनुसार समाज की वास्तविक आकृति का समावेश होता है। इस विषय से संबंधित दूसरा और रूढ क्रम है— व्यक्ति—परिवार— कबीला अथवा कुटुम्ब—जाति— सम्प्रदाय व पंथ के वर्ग संघर्ष से उलझा हुआ देश व विश्वव्यापी स्तर का समाज। यद्यपि आधुनिक व्यवस्था में **यह क्रम भी**—परिवार—गांव—जिला—प्रदेश—देश—समाज के वास्तविक क्रम का किसी न किसी प्रकार आश्रय पाकर ही जीवित रहता है। लेकिन इसका मूल दोष यह है कि यह प्रकार समाज के आंतरिक ढांचे मे विभिन्न लोगों के बीच अपने स्तर के अनुसार परस्पर अंतर विरोधो, रूढियों, वैचारिक जडताओं को अवसरवाद की धारणा के अनुसार पनपने के अवसर उत्पन्न करता है। घटना वश या सत्ताखोर लोगो की नीयत खराबी के कारण से समाज मे व्यवस्था की स्थापना भी इस दूसरे क्रम को विधिक मान्यता प्रदान करती है, भले ही वह सैद्धान्तिक रूप से इस सत्य को नकारती रही हो। लेकिन

मौजूदा सामाजिक ढांचे के आधार पर किया गया अनुसंधान राज्य के इस वक्तव्य को तर्कहीन सिद्ध कर देता है। सामाजिक व्यवस्था तथा राज्यगत व्यवस्था के ढांचे से इस दूसरे तथाकथित क्रम के प्रभाव के उन्मूलन हेतु ''व्यवस्थापक'' की संस्थात्मक संरचना समाज व्यवस्था के प्रथम व वास्तविक क्रम के आधार पर होगी। इस हेतु हम एक आंदोलन की रूप रेखा का प्रस्ताव (सारांश रूप) लेकर समाज के सामने प्रस्तुत हो रहे है। आपका सहयोग प्रार्थनीय है।

आंदोलन की पृष्ठ भूमि के चार मुद्दे–

1–परिवार, गांव व जिला को संवैधानिक अधिकार।

2–संसद की उच्श्रृंखलता पर नियंत्रण के लिए लोक संसद की स्थापना।

3–मतदाताओं को जन प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार।

4–प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह दो हजार मूल रूपये जीवन भत्ता देने की व्यवस्था

विशेष– लोक संसद का प्रस्तावित प्रारूप–

1– वर्तमान लोकसभा के समकक्ष एक लोक संसद हो। लोक संसद की सदस्य संख्या, चुनाव प्रणाली तथा समय सीमा वर्तमान लोक सभा के समान हो। चुनाव भी लोकसभा के साथ हो किन्तु चुनाव दलीय आधार पर न होकर निर्दलीय आधार पर हो।

2–लोक संसद के निम्न कार्य होगें–

(क) लोक पाल समिति का चुनाव।

(ख) संविधान संशोधन के संसद के असीम अधिकारो को संसद और लोक संसद के रूप मे द्विस्तरीय बनाना।

(ग) सांसद, विधायक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मंत्री एवं राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संबंधी प्रस्ताव पर विचार व निर्णय।

(घ) राइट टू रिकाल का कोई प्रावधान बनाना ।

(च) लोकपाल समिति के भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत का निर्णय ।

(छ) किन्ही भी संवैधानिक इकाईयों के बीच आपसी टकराव पर निर्णय।

3– लोक सांसद का कोई वेतन भत्ता नही होगा। बैठक के समय भत्ता प्राप्त होगा।

4– लोक संसद का कोई कार्यालय या स्टाफ नही होगा। लोक पाल समिति का कार्यालय तथा स्टाफ ही पर्याप्त रहेगा।

5–यदि किसी प्रस्ताव पर लोक संसद तथा वर्तमान संसद के बीच अंतिम रूप से टकराव होता है तो उसका निर्णय जनमत संग्रह से होगा।

6– लोक संसद किसी भी संवैधानिक इकाई के आंतरिक मामलो मे कोई हस्तक्षेप नही करेगी।

नोट– लोक संसद का यह प्रस्तावित प्रारूप चर्चा के लिए विशेष रूप से आपके सामने प्रस्तुत है। यदि संसद की उच्श्रृखलता पर सामाजिक नियंत्रण के लिये कोई अन्य सुझाव भी आता है तो उस पर विचार किया जायेगा। परिवार, गांव, जिला को अधिकार देने, राइट टू रिकाल तथा जीवन भत्ता देने संबंधी विभिन्न प्रस्तावो पर भी बैठकर विचार किया जायेगा।

विवेचक
नरेन्द्र सिंह (प्रवक्ता) 09012432074
(व्यवस्थापक)

इसके साथ ही एक लोक स्वराज्य बिल तैयार किया गया है। जिसका प्रारूप इस प्रकार है।

लोक स्वराज्य बिल

1. **उद्देश्य** : 'तंत्र', नियुक्त होने के आधार पर, **'स्वयं को सरकार'** कहने या समझने के स्थान पर **'प्रबंधक'** या **'मैनेजर'** समझे तथा कहे। दूसरी ओर **'लोक'** स्वयं को **'नियोक्ता होने'** के आधार पर **'मालिक'** समझे तथा कहे। **'लोकतंत्र'** का अर्थ **'लोक नियुक्त तंत्र'** के स्थान पर **'लोक नियंत्रित तंत्र'** हो।

2. **कार्य** : प्रथम चरण मे चार कार्य किये जाये – **1. परिवार, गांव, जिले को संवैधानिक मान्यता तथा अधिकार, 2. लोक संसद, 3. राइट टू रिकाल, 4. प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दो हजार मूल रूपया जीवन भत्ता**

3. **कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायाधीश तथा एक अन्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मिलकर व्यक्तिगत आधार पर अलग अलग चार आयोगों का गठन करें।** ये चारों आयोग एक वर्ष के भीतर संसद को अपनी रिर्पोट दें।

4. **आयोग के कार्य : प्रथम विषय : परिवार**

क–परिभाषा

1 पिता, माता और नाबालिग संतान की वर्तमान परिभाषा

2 **'संयुक्त संपत्ति'** तथा **'संयुक्त उत्तर दायित्व'** के आधार पर एक साथ रहने हेतु सहमत व्यक्तियो का समूह

3 कोई अन्य

ख–अधिकार

1 विवाह, सन्तानोत्पत्ति, सम्पत्ति विभाजनकर्ता की नियुक्ति, कर्ता के अधिकार,भोजन, वस्त्र, शिक्षा,रोजगार आदि के स्वतंत्र अधिकार ।

'गांव' क– परिभाषा

1 वर्तमान परिभाषा

2 एक सौ पचीस करोड आबादी के समय 750 से 1750 तक की आबादी को एक गांव या वार्ड घोषित करना जिससे पूरा देश दस लाख गॉवों में बंट जाये।

3 कोई अन्य

ख–अधिकार

शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ ,ग्रामीण सड़क, कुॅआ आदि जल व्यवस्था, साफ सफाई, स्थानीय स्तर की अर्थ व्यवस्था आदि।

'जिला'– क –परिभाषा : 1. वर्तमान 2. औसत सवा लाख की आबादी। 100 गांव को मिलाकर एक जिला

3 कोई अन्य

ख– अधिकार : एक से अधिक गांवो को एक साथ जोडने वाली ऐसी सडक, स्कूल, अस्पताल, पशु, चिकित्सा, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, जल प्रदाय, जिला स्तर तक की आर्थिक स्थिति आदि अनेक वे कार्य जो प्रदेश या केन्द्रीय व्यवस्था की न हो।

5. लोक संसद : द्वितीय विषय

क – निर्माण

1 रेन्डम प्रणाली से नियुक्त 543 प्रतिनिधि

2 संविधान सभा के नाम पर लोक सभा चुनाव के साथ ही दल विहीन पद्धति से चुने गये 543 प्रतिनिधि

3 सरकारी कालेजो के चुने गये एक सौ प्राचार्य जिन्हे बीए या उपर के सरकारी कालेजो के प्रोफेसर ही वोट दे । साथ ही पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधान मंत्री तथा पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीशो मे से संसद द्वारा चुने गये ग्यारह लोग जो किसी दल से न जुडे हों।

ख : कार्य

1 संविधान संशोधन में वर्तमान संसद के समान भूमिका

2 सांसदो के वेतन भत्तो के निर्धारण मे संसद के समान भूमिका

3 लोक पाल चयन

4 किन्ही दो संवैधानिक इकाइयों के बीच विवाद का निर्णय

5 कोई अन्य कार्य – जो विधायिका न्यायपालिका या कार्यपालिका से जुडा न हो

ग : विशेष

1 लोक संसद का चुनाव निर्दलीय आधार पर होगा।

2 लोक संसद का कोई स्थायी वेतन भत्ता नही होगा। आवश्यकतानुसार बुलाये जाने पर भत्ता देय होगा।

3 यदि संसद और लोक संसद किसी विषय 1 या 2 पर अंतिम रूप से असहमत होते है तो अंत में जनमत संग्रह से निर्णय होगा।

6 तृतीय विषय : राइट टू रिकॉल

क– लोक सभा के किसी सांसद की संसद सदस्यता संसद या दल समाप्त नही कर सकेगा।

ख –लोक सभा सांसद की सदस्यता समाप्ति के लिये निम्नाकित मे से कोई विधि होगी।

1 लोक सभा, संबद्ध राजनैतिक दल, संबंधित लोक सभा क्षेत्र के निर्वाचित ब्लाक अध्यक्ष, अथवा किसी अन्य व्यवस्था द्वारा विधिवत प्रस्ताव करने पर उस क्षेत्र के मतदाता, रेन्डम पद्धति से चुने गये मतदाता, सभी चुने गये पंच या सरपंच, अथवा किसी अन्य प्रणाली से कराये गये मतदान द्वारा निर्णय

7. चतुर्थ विषय : प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दो हजार मूल रूपया जीवन भत्ता

क – परिभाषा :

1– व्यक्ति का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से होगा। उम्र लिंग आदि भेद नही किया जायगा

2 मूल रूपया का अर्थ है 23 जुन 2014 के बाद की मुद्रा स्फीति को जोडकर

3 कृत्रिम उर्जा का अर्थ है डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस, मिट्टी तेल, कोयला।

ख– व्यवस्था: पूरी आबादी की न्यूनतम आधी निचली आबादी को प्रति माह प्रति व्यक्ति दो हजार मूल रूपया जीवन भत्ता सरकार द्वारा देय होगा।

ग– क्रमांक ख के लिये धन की व्यवस्था हेतु कोई एक व्यवस्था की जायेगी।

1 सम्पूर्ण सम्पत्ति पर समान कर

2 एक निश्चित सीमा से अधिक सम्पत्ति पर कर

3 कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि

4 कोई अन्य उपाय

8. यदि किसी आयोग की सलाह को संसद अंतिम रूप से अस्वीकार कर देगी तो जनमत संग्रह द्वारा अंतिम निर्णय होगा।

उपरोक्त लोक स्वराज्य बिल को आधार बनाकर ही आंदोलन को दिशा और गति दी जायगी। हमारा आन्दोलन किसी प्रदेश या केन्द्र सरकार से नहीं है। हमारा आन्दोलन सिर्फ संसद के खिलाफ भी नही है। हम तो वर्तमान संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोक तंत्र की दिशा देना चाहते हैं। हमारा आंदोलन राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन है। हम संविधान संसद और समाज के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन चाहते हैं। हम संविधान संशोधन मे समाज की भूमिका, तथा तंत्र पर नियंत्रण चाहते है। आदर्श लोकतंत्र मे समाज का संविधान पर, संविधान का तंत्र पर, तंत्र का कानून पर तथा कानून का व्यक्ति पर नियंत्रण होता है। इस तरह समाज से लेकर व्यक्ति तक सभी एक राजनैतिक व्यवस्था से जुडे होते हैं। व्यक्ति पर भी कानून या समाज का असीमित नियंत्रण नहीं होता। व्यक्ति के प्रकृति प्रदत्त अधिकारो मे कोई कानून कोई कटौती नहीं कर सकता भले ही वह कानून सीधा समाज के द्वारा ही क्यो न बनाया गया हो। इस तरह तंत्र समाज का मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, सरकार नहीं।

न तो तंत्र को स्वयं को सरकार कहना चाहिये न ही समझना चाहिये। हमारा आंदोलन इसी विश्वव्यापी गलत अवधारणा के विरूद्ध है, जिसकी शुरूआत हम भारत से करने जा रहे हैं। हमारी योजना संसद या सरकार मे बैठे व्यक्तियों को बदलकर किन्ही अन्य दूसरों को अथवा भ्रष्ट लोगो को हटाकर अच्छे इमानदार चरित्रवानों को लाने की नहीं है। हमारा मानना है कि भारत मे चरित्र पतन का कारण राजनैतिक शक्ति का केन्द्रियकरण है। जबतक यह केन्द्रियकरण कमजोर नही होगा तब तक चरित्र गिरता ही जायेगा चाहे उसके लिये कितने भी प्रयत्न क्यो न किये जाये। हमारी लडाई तो यह है कि हमे सुशासन नही स्वशासन चाहिये, सुराज्य नही स्वराज्य चाहिये । हम सरकार है और आप हमारे प्रबंधक है। आप अपने को प्रबंधक कहे भी और समझे भी।

मै जानता हूँ कि वर्तमान समय मे राजनैतिक दलो के बीच का टकराव लूट के माल मे विभाजन या हिस्सेदारी तक सीमित है। यदि उनके लूट के माल के अस्तित्व को ही चुनौती होती है, तो वे सब सारे मतभेद भुलाकर एकजुट हैं। यही कारण है कि हम वर्तमान राजनैतिक दलो से न कोई टकराव ले रहे है न ही उनसे कोई उम्मीद कर रहे है। हमारा कोई टकराव किसी राजनैतिक दल या उसकी विचारधारा से नही है। हमारा आंदोलन तो सिर्फ संवैधानिक तरीके से समाज और राज्य के अधिकारों की व्याख्या मात्र तक सीमित है।

यह आंदोलन सिर्फ राजनैतिक गुलामी से मुक्ति के प्रयत्न तक सीमित है। सामाजिक आर्थिक असमानता या गुलामी से मुक्ति के लिये मै अलग से सक्रिय हूँ। मैने राष्ट्रीय स्तर तक के लिये कई स्थापित विचारों को चुनौती दी है तथा विकल्प बताये हैं मैने भारत मे पहली बार स्पष्ट किया है कि भारत का आदर्श संविधान पांच उदघोषणाओं पर आधारित होना चाहिये। 1 लोक स्वराज्य 2 अपराध नियंत्रण की गारंटी 3 आर्थिक असमानता मे कमी । 4 श्रम शोषण मुक्ति 5 समान नागरिक संहिता। मैने ही भारत मे प्रमाणित किया है कि मंहगाई, महिला उत्पीडन बालश्रम जैसी समस्याएं अस्तित्व हीन है। मैने ही स्पष्ट नारा दिया है कि राजनीति बन गई तवायफ नेता हुए दलाल, ऐसे मे क्या होगा भइया इस समाज का हाल। संसद को एक पलंग समझकर उस पर शयन किया, संविधान को मान के चादर खींचा ओढ लिया। अब तक हमने बहुत सहा अब सहेंगे नहीं, हम चुप रहेंगे नही, चादर हटा देंगे हम, सब कुछ दिखा देंगे हम, कचडा जला देंगे हम। मैने ही भारत के संदर्भ मे यह नारा दिया था कि '' कृत्रिम उर्जा सस्ती हो, यह बहुत बडा षणयंत्र है। श्रम का शोषण करने का यह पूंजीवादी मंत्र है।'' मैने ही भारत के संदर्भ मे बेरोजगारी की वास्तविक परिभाषा विकसित की है, अथवा यह भी स्पष्ट किया है कि समानता का व्यवहार करना मजबूतो का कर्तब्य है। कमजोरों का अधिकार नहीं क्योकि कर्तब्य और दायित्व बिल्कुल अलग अलग होते है। इन सब तथा अनेक अन्य विषयो पर राष्टव्यापी चिंतन और निष्कर्ष होते हुए भी मैने विश्वस्तरीय निष्कर्ष निकाले। मै यह समझता था कि जब से भारत की चिंतन धारा अवरूद्ध हुई है तब से दुनिया के अनेक तथाकथित विद्वानो के कुछ अधकचरे निष्कर्ष भारत सहित दुनिया के अन्य देशो मे प्रचारित हो गये हैं। अब ऐसे अधकचरे निष्कर्षो को चुनौती देने की आवश्यकता है और मैने कम से कम छः विषयो पर विश्वव्यापी नई परिभाषाएं दी हैं। अब तक दुनिया मे संविधान, मौलिक अधिकार, अपराध, परिवार और उसकी संरचना, सम्पत्ति का अधिकार तथा फांसी की सजा पर जो धारणा बनी हुई है वह अधूरी है, तर्कसंगत नही है, अर्पयाप्त है, भ्रम मूलक है। मैने इन सब विश्व व्यापी विषयो पर गंभीर चिंनत मनन करके नई परिभाषाएं दीं। जो अब विश्वव्यापी बहस के केन्द्र में आ रही हैं।

यह सही है कि मेरे प्रयत्नों से भारत का भी गर्व से सिर उंचा होगा तथा मेरा भी किन्तु गर्व करने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। समस्या का समाधान तो अलग से करना होगा और इसलिये इन प्रयत्नो के साथ साथ सक्रियता के लिये एक संगठन बनाना होगा। मै अपनी विशेषता भी जानता हूँ और कमजोरी भी। मै गंभीर मौलिक चिंतन कर सकता हूँ किन्तु मेरे अंदर संगठन क्षमता शुन्यवत है। मैने अपनी यह कमजोरी कभी छिपाई भी

नहीं और यही कारण है कि संगठन बनने मे इतनी देर हुई। अब आप सब मिलकर एक संगठन बना रहे हैं, जिसे मेरा मार्ग दर्शन रहेगा, समर्थन और सहयोग रहेगा किन्तु सहभागिता नहीं होगी। हस्तक्षेप शून्यवत होगा। आप सब जानते है कि मै बचपन से ही सामाजिक स्थिति मे ब्राम्हण था तथा जीवन भर भले ही मुझे अन्य लोग ब्यापारी या नेता समझते रहे हों किन्तु मैने अपने को जीवनभर ब्राम्हण ही समझा । अब वानप्रस्थ के बाद मेरी भूमिका और स्पष्ट हो गई है, अर्थात मै पूरी तरह अपने सम्पत्ति के अधिकार से वंचित हूॅ अर्थात मेरे पास किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, न ही किसी पारिवारिक सम्पत्ति मे मेरा हिस्सा है । इसका अर्थ है कि मै अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिये परिवार पर तथा सामाजिक खर्चों के लिये आप सब मित्रों, रिश्तेदारों या साथियों पर निर्भर रहता हूॅ।

संगठन बनाने के लिये चार मुददे चिन्हित किये गये हैं। इनमं भी दो मुददों पर विशेष जोर है। मै जानता हूॅ कि परिवार व्यवस्था की संरचना बहुत प्रभावकारी परिवर्तन ला सकती है। यदि परिवार का मुददा भी ठीक ढंग से लागू हो जाये तो काफी कुछ राज्य कमजोरीकरण तथा समाज सशक्तिकरण की दिशा मे जोरदार छलांग लग सकती है। परिवार के समान प्रभावकारी मुददा कोई अन्य नहीं है। इन सबके होते हुए भी यह बात साफ है कि परिवार को आगे रखकर आंदोलन करना अधिक कठिन है क्योंकि न तो कोई परिवार की ठीक ठीक परिभाषा बन पायी है न ही अभी परिवार को कोई संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। परिवार की बात समाज को समझना उतना आसान नही क्योकि समाज मे परिवार की वर्तमान संरचना अंदर तक घुसी हुईं है। दूसरी ओर राज्य भी परिवार व्यवस्था को स्वीकार करने मे ज्यादा कठिनाई महसूस करेगा। किन्तु ग्राम सभा सशक्तिकरण एक ऐसा मुददा है जो अन्य सबकी अपेक्षा ज्यादा आसान है। ग्राम सभाओं को तिहत्तरवे संविधान संसोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। अर्थात ग्राम सभाओ को अधिकार देने मे संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं पडेगी। संविधान मे ही 11 वी अनुसूची के माध्यम से 29 अधिकार ग्राम सभाओ को दे दिये गये है। इन उन्तीस अधिकारो मे ग्रामीण स्तर की शिक्षा, भूमि सुधार, लधु सिचाई , पशु पालन, मछलीपालन, वन सुधार, लघुवनोपज व्यापार, लधु उधोग, ग्रामीण उद्योग,गृह निर्माण, पेयजल, जलावन, सड़क पुलिया, ग्रामीण विद्युतिकरण, प्राकृतिक उर्जा, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वृद्ध शिक्षा,ग्रामीण पुस्तकालय,सांस्कृतिक कार्य, मेला और बाजार, स्वास्थ, साफ–सफाई, परिवार कल्याण, महिला बालक वृद्ध सुरक्षा, अशक्त अपाहिज आदिवासी हरिजन सुरक्षा, वित्त, सामूहिक न्याय आदि शामिल हैं। मैं समझता हूॅ कि इतने विषय गावों को दे देने के बाद कोई अन्य विषय बचता ही नहीं है, जो गावों को स्वावलम्बी और सशक्त बनाने में सहायक हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि इनमें से पॉच दस विषय भी दे दिये गये होते तो गावों का ढॉचा बदल गया होता। लेकिन राजनेताओं ने संविधान संशोधन होने के बाद भी इनमें से एक भी अधिकार अब तक गावों को नहीं दिये। न तो गावों को अलग से परिभाषित करने की जरुरत है न ही ग्राम सभा,ग्राम पंचायत के संबंध और संरचना पर कोई सोच कोई कानून बनाने की जरुरत है न ही गावों की कार्य प्राणाली संबंधी कोई विशेष प्रावधान बनाने की जरुरत है। सब कुछ वर्तमान में बना हुआ है और सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। करना सिर्फ इतना ही है कि हम सरकार को सहमत करके अथवा आन्दोलन द्वारा मजबूर करके ये संवैधानिक अधिकार गावों को दिलाने में सफल हो सकें। परिवार को व्यवस्था का अंग बनाना अधिक परिणाम दायक होते हुए भी एक बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया है और ग्राम सभा सशक्तिकरण एक बहुत आसान और सुविधाजनक मार्ग है। इसलिए हम लोगों ने यह महसूस किया कि हम अपने चारों मुद्दों को साथ रखते हुये भी ग्राम सभा सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। ग्राम सभा को अधिकार मिलते ही जिलो को स्वतः अधिकार मिल जायेंगे क्योकि जिला और गॉव वर्तमान व्यवस्था में एक साथ जुडे हुए हैं। ग्राम सभा सशक्तिकरण एक सहज सरल संभावना देखते हुए यह प्राथमिकता तय की गई है।

भले ही ग्राम सभा सशक्तिकरण को हम प्राथमिक महत्व दे रहे हैं किन्तु अन्य चारों मुद्दे भी हमारे आन्दोलन के भाग हैं। स्पष्ट है कि यदि कोई संगठन इन चार मुद्दों के साथ कोई पाचवां विषय जोडकर चलता है तो हमारा संगठन उस आन्दोलन में न समर्थक होगा, न सहयोगी, न सहभागी। हमारा बैनर उसके साथ नही जुड़ सकता। लेकिन यदि कोई संगठन इन चार मुद्दों में से किसी एक मुद्दे पर भी कोई आन्दोलन खडा करता है तो हमारा संगठन उसके साथ समर्थन सहयोग या सहभागिता के लिए स्वतंत्र है।

व्यवस्था परिवर्तन के कुल चार ही मार्ग स्पष्ट हैं–(1)जे पी का मार्ग जिसमें संसद में बहुमत लाकर संविधान संशोधन करना और संविधान संशोधन के बाद त्यागपत्र दे देना।(2)अन्ना हजारे का मार्ग जिसमें प्रबल जनमत खडा करके वर्तमान राजनेताओं में भय पैदा करना तथा खुद उन्हें संविधान संशोधन के लिए तैयार करना (3)ट्यूनिशिया,मिश्र सरीखे देशों का मार्ग जहॉ एकाएक संवैधानिक कांति हो गई और पूरी की पूरी व्यवस्था बदल

गई। (4) लीबिया में दिखा जहॉ मरने मारने का प्रयोग हुआ, विदेशियों को मदद के लिए आमंत्रित भी किया गया, और तब संवैधानिक व्यवस्था में कोई बदलाव आ गया। चौथा मार्ग भारत में अनुपयुक्त है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तथा ऐसे मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा मार्ग परिस्थितिजन्य है उसमें हम कुछ नही कर सकते। शेष दो मार्ग में से कौन सा सही है यह कहना कठिन है और इसलिए हम अपने संगठन के साथियों को यह छूट दे रहे है कि ये दोनों में से जिस मार्ग पर चलना चाहें उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे संगठन का बैनर या संगठन न राजनैतिक दल बना सकेगा न ही किसी राजनीति में हिस्सा लेगा। किन्तु हमारे संगठन के सभी सदस्य राजनैतिक दल बनाने या शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रुप से स्वतंत्र होंगे, कुछ उच्च पदाधिकारियों को छोडकर। इस तरह हमारा संगठन जनमत जागरण तक सीमित होगा तथा आवश्यकतानुसार वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था पर दबाब बनाने का प्रयास करेगा।

इस संगठन में विधायिका,कार्यपालिका तथा अर्थपालिका का स्वतंत्र स्वरुप होगा जो एक दूसरे के पूरक होंगे। संगठन में एक नीति–निर्धारण समिति होगी जिसमें लगभग 100 लोग सदस्य होंगे। ये सभी देशभर के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से होंगे। यह समिति संगठन की नीतियों का अंतिम निर्णय करेगी। इस समिति के सदस्यों का चयन यह समिति स्वयं करेगी । प्रतिवर्ष एक तिहाई सदस्य बदले जायेंगे। नीति–निर्धारण समिति दस पन्द्रह लोगों की एक नीति,कार्य समिति बनायेगी। यह कार्य समिति कम से कम दो माह में एक बार अवश्य ही बैठकर समीक्षा करेगी। यह कार्य समिति जो भी निर्णय करेगी उस निर्णय की सार्वजनिक घोषणा यह कार्य समिति अथवा नीति–निर्धारण समिति नहीं करेगी। उसकी घोषणा कार्यपालिका समिति करेगी किन्तु नीति निर्धारण समिति की नीतियों में कार्यपालिका समिति कोई संशोधन परिर्वतन नहीं कर सकेगी। कार्यपालिका समिति देश भर के एक सौ लोगों की होगी। जिसमें प्रत्येक लोक प्रदेश का एक सदस्य शामिल होगा। इस कार्यपालिका समिति का चयन संगठन के पूर्णकालिक सदस्य मिलकर करेंगे। पूर्णकालिक सदस्यों का चयन संरक्षक सभा तथा नीति–निर्धारण समिति की नीति काय समिति मिलकर करेंगे। संरक्षक मण्डल का चयन नीति कार्य समिति तथा पूर्णकालिक सदस्य मिलकर करेंगे। यदि किसी विषय पर नीति कार्य समिति तथा पूर्णकालिक सदस्यों के बीच टकराव हो जाता है तो दोनों की अलग अलग बैठके उसका समाधान खोजेंगी और यदि फिर भी समाधान नही होता है तो नीति निर्धारण समिति, नीति कार्य समिति, केन्द्रीय कार्यपालिका समिति तथा संरक्षक मण्डल मिलकर समाधान करेंगे। यदि इस समाधान में भी मतदान की स्थिति आती है तो 100 में से 20 मत नीति–कार्य समिति के, 20 मत नीति निर्धारण समिति के, 20 मत संरक्षक मण्डल के, 20 मत पूर्णकालिक सदस्यों के तथा 20 मत केन्द्रीय कार्यकारणी के गिने जायेंगे। इस मतदान के बाद जो भी निर्णय होगा वह अंतिम होगा। नीति– कार्य समिति तथा पूर्णकालिक सदस्य न राजनैतिक दल बना सकेंगे न ही किसी राजनैतिक दल की गतिविधियों में प्रत्यक्ष रुप से भाग ले सकेंगे। संरक्षक मण्डल के सदस्य अथवा नीति निर्धारण समिति के सदस्य अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व्यक्तिगत रुप से राजनीति में जाने या शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। आगामी दो वर्षो तक पूरे देश में संगठन का ढॉचा बनेगा। ग्राम स्तर तक सदस्य बनाये जायेंगे। अक्टूबर 2017 में जंतर मंतर पर दस दिनों का एक सत्याग्रह धरना विचार मंथन शिविर सरीखा आयोजन होगा और उसके बाद आगे की कार्य योजना बनेगी। अक्टूबर 2017 के कार्यक्रम में ही अर्थपालिका सारे संगठन के आय व्यय का ढॉचा प्रस्तावित करेगी। वर्तमान में अर्थपालिका के तीन सदस्य माने गये है–(1)अशोक गदिया जी (2)घनश्याम गर्ग जी (3)कन्हैया लाल अग्रवाल। इसी तरह वर्तमान समय में संरक्षक सभा में दो सदस्य माने गये हैं–(1)विजय कौशल जी महाराज (2)प्रमोद कुमार वात्सल्य। वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या चार है (1) टीकाराम जी जो इस टीम के प्रमुख हैं 8826290511 (2)नरेन्द्र सिंह जी 9012432074 (3)अभ्युदय जी द्विवेदी 9302811720 (4)जय प्रकाश जी भारती 9718641494 । इसी तरह वर्तमान मे नीति कार्य समिति मे पंद्रह नाम प्रस्तावित है। इनमे (2) आचार्य पंकज नेपाली क्षेत्र, लक्ष्मण झूला रोड, ऋषिकेश, उतराखण्ड–249201 09219617434, आचार्य पंकज .ग्रा0 रामसिंहपुर, पो0 हरहुआ, वाराणसी, उ0प्र0–221105, 8476817434, (2) डा0 ईश्वर दयाल, ग्रा0+पो0 –मुजफ्फरपुर, पत्रा0–राजगीर, (नालन्दा), बिहार, पिन–803116, 09430601751, 07782901751 (3) ओम प्रकाश दुबे, जी–20, सेक्टर–56, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 09868025483 (4) कृष्ण लाल रुँगटा, पोस्ट– चिरकुंडा, जिला– धनवाद, झारखण्ड– 828202, 09968891635, (5) डॉ गार्गी प्रसाद मिश्र, चन्दा गली, जहानाबाद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश 212659, 9984624912, (6) छबील सिंह शिशौदिया, टोनी प्रधान के बराबर वाला मकान, पबला रोड, रमपुरा, पिलखुवा, हापुड, उत्तर प्रदेश–245304, 09760459770, 09997764450, (7) प्रवीण शर्मा, नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 09212605989, (8) विनोद भाई, श्याम सुंदर शिक्षा सदन, कास्टर टाउन, वैद्यनाथ देवघर, झारखण्ड–814112, 09470100099, (9) विमल कुमार, एस

विष्णु गार्डन, 510 गुरुकुल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–249404 (10)चौधरी रतीराम शास्त्री, ग्रा+पो –अम्बौली, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश–247554, 09758900775, (11) रामवीर श्रेष्ठ, दिल्ली कार्यालय 09582057533, (12)ऋषि पाल सिंह यादव, पुत्र श्री जोरावर सिंह यादव ,ग्राम भाग नगर पो0–धनारी सम्मल भीम नगर, उ0 प्र0 9761458520, 9759600000(13) लाल जी भाई पटेल, 7, सूर्योदय फ्लैट, नारणपुरा अहमदाबाद, गुजरात–380013 (14) **Suresh Kumar, H NO -175, BLOCK NO -34, TRILOK PURI, PATPARGANJ EAST, NEW DELHI - 110091, 09910078250** (15) हेमन्त कुमार शाह, 9, सविता सोसायटी, नारणपुरा, रेलवे क्रासिंग, अहमदाबाद, गुजरात–380013

कुल मिलाकर छः समितियॉ बनी है 1 संरक्षण सभा 2 नीति कार्य समिति 3 पूर्णकालिक सदस्य समिति 4 अर्थपालिका 5 नीति निर्धारण समिति 6 केन्द्रीय कार्यकारिणी। सभी छः समितियों की बैठक में अन्य पांच के कार्यकर्ता पदेन आमंत्रित सदस्य होगे किन्तु नीति निर्धारण समिति तथा केन्द्रियकार्यकारिण के सदस्य अन्य चार बैठको मे बिना आमंत्रण या सूचना के नही जा सकेंगे। कोई भी विशेष आंमत्रित सदस्य किसी भी समिति की बैठक मे सिर्फ शुन सकेगा या व्यवस्था अनुसार बोल सकेगा लेकिन न अपना वोट दे सकेगा न ही स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकेगा या प्रश्न कर सकेगा।

सभी छः समितियां अपनी अपनी बैठको का संक्षिप्त विवरण या पारित प्रस्ताव अपनी अपनी कार्यवाही पुस्तिका मे दर्ज करेंगी। हर बैठक की कार्यवाही के प्रारंभ मे पिछली बैठका का विवरण पढकर सुनाया जायेगा तथा समिक्षा की जायेगी। व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी के नाम से तथा रशीद के द्वारा संग्रिहीत धन ही अर्थपालिका के कोष मे जमा होगा तथा सभी प्रकार का खर्च अर्थपालिका द्वारा नियंत्रित बजट अनुसार होगा। अन्य सभी समितियां व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी का नाम और रशिद का धन संग्रह मे उपयोग नही कर सकेगीं। अर्थ पालिका के अतिरिक्त विशेष प्रयोजन के लिये अन्य समितियां जो धन संग्रह करेंगी उसका कोई हिसाब अर्थपालिका के पास नही रहेगा। अन्य समितियां या अन्य लोग अपना धन संग्रह और उसका खर्च करने के लिये स्वतंत्र होगें। व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी उनसे किसी प्रकार का कोई हिस्सा या हिसाब नहीं मागेगी। कोषाध्यक्ष पूरे आय ब्यय का हिसाब रखेगे जिसका पूरा नियंत्रण तथा दायित्व अर्थपालिका का होगा। कोषाध्यक्ष से आय व्यय का हिसाब कभी भी किसी भी समय संरक्षण सभा अर्थपालिका का कोई सदस्य पूछ सकता है समझ सकता है। अन्य समितियों के सदस्य सिर्फ उसी परिस्थिति मे अर्थपालिका से आय व्यय का हिसाब पूछ सकते है जब उनकी समिति किसी प्रस्ताव द्वारा उन्हे अधिकृत करे।

आगे दो अक्टूबर के बाद विधिवत प्रक्रिया चलती रहेगी।

उपरोक्त प्रस्ताव मेरी ओर से रखा गया प्रस्ताव मात्र है। इस प्रस्ताव पर दो अक्टूबर पंद्रह से लेकर अक्टूबर सत्रह तक एक ओर तो चर्चा चलती रहेगी दूसरी ओर इस आधार पर संगठन का ढांचा भी बनता रहेगा। अंतिम निर्णय दो हजार सत्रह के सम्मेलन मे घोषित किया जायेगा। यह घोषणा भी नीति निर्धारण समिति के निर्णय के आधार पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता की समिति करेगी। तब तक विचार मंथन चलता रहेगा।

मेरा अपने साथियों से निवेदन है कि वे निराशा से बाहर निकले तथा दूसरो को भी निराशा के वातावरण से बाहर निकलने के लिये प्रेरित करे। जो भी लोग वर्तमान अधिकारो की लूट की बहती गंगा मे हाथ धोने के लिये प्रयास रत है उन सब मे भी बहुत बडी संख्या ऐसे लोगो की है जो हमारे प्रयत्नो के साथ जुड सकते है अथवा तालमेल कर सकते है। राजनीति से जुडे सब लोगो की नीयत खराब नही है किन्तु वे सुधार के प्रयत्नो से निराश होकर उस समूह मे शामिल हो गये है। हमारे सभी साथियो को बहुत सूझबूझ से काम प्रारंभ करने की आवश्यकता है। जो साथी गांव से लेकर केन्द्र तक की समिति का जितना दायित्व स्वीकार करने की क्षमता रखते है वे उतना दायित्व स्वीकार करे। आपकी क्षमता नल नील के समान है अथवा गिलहरी के समान यह आपही जान सकते है। गिलहरी को नल नील का दायित्व और नल नील को गिलहरी का दायित्व देना हानिकर होगा। अतः आपसे उम्मीद है कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन अभियान मे यथा शक्ति सहभागी बनेंगे।